KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (REGIONAL OFFICE) JAIPUR

F. No. 230333/2025-26/KVS(JPR)/Admn 8685 — Proforma B

Date:- 04.03.2025

Kendriya Vidyalaya Dungarpur

The sanction of various posts/Cadres in teaching and non-teaching staff and the opening of new classes/sections in KV Dungarpur for the session 2025-26 have been accorded by the Commissioner KVS as per the details as under:-

Class	No. of Sections during 2024-25	No. of Sections during 2025-26	Addition(+)	Reduction(-)
I	2	2		
II	2	2		
III	2	2		
IV	2	2		
V	2	2		
VI	2	2		
VII	2	2		
VIII	2	2		
IX	1	2	(+) 1	
X	1	1		
XI (Sc.)	1	1		
XI (Hum.)	0	0		
XI (Comm.)	1	1		
XII (Sc.)	1	1		
XII(Hum.)	0	0		
XII (Comm.)	1	1		
TOTAL	**22**	**23**	(+) 1	
Name of the Post	Total Sanctioned for Session 2024-25	Requirement for session 2025-26	Addition(+)	Reduction(-)
1. Principal	1	1		
2.Principal Gr-II	0	0		
3. Vice Principal	0	0		
4. A)PGT Humanities				
PGT Hindi	1	1		
PGT English	1	1		
PGT History	0	0		
PGT Economics	1	1		
PGT Geography	0	0		
B)PGT Sicence				
PGT Physics	1	1		
PGT Chemistry	1	1		
PGT Maths	1	1		
PGT Biology	1	1		
C)PGT Comp. Sci.	1	1		
D)PGT (Commerce)	1	1		
5.A)TGT Humanities				
TGT Hindi	1	1		
TGT English	2	2		
TGT Sanskrit	1	1		
TGT Sost	1	2	(+) 1	
B)TGT Science				
TGT Maths	2	2		
TGT Biology	1	1		
6.Head Master	0	1	(+) 1	
7.PRIMARY TEACHER	11	11		
Other Categories of Staff				
8. Teaching				
PRT(Music Teacher)	1	1		
TGT(Physical & Health Education)	1	1		
TGT(Art Education)	1	1		
TGT(Work Experience)	1	1		
Yoga Teacher	0	0		
Librarian	1	1		
9.NON-TEACHING				
ASO	0	0		
SSA	1	1		
JSA	1	1		
Lab. Assistant	0	0		
Sub Staff (Lab)	3	3		
Sub staff	6	6		
Hostal Staff				
SSA	0	0		
JSA	0	0		
Nurse	0	0		
Sub staff	0	0		
TOTAL	**45**	**47**	(+) 2	

Out of 06 post of Sub staff 03 are for outsourcing and 03 are for regular sub staff.

(DR. ANURAG YADAV)
Deputy Commissioner
Jaipur Region

Copy to :
Deputy Commissioner(Acad.) KVS (HQ) New Delhi
The Principal, Kendriya Vidyalaya DUNGARPUR
AC(Estt. I/II/III), KVS,(HQ) New Delhi
SE(Works), KVS(HQ) New Delhi
Guard file

कार्यालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राजस्थान)

क्रमांक : राजस्व/2008/ दिनांक : 12.6.200

: आदेश :

सहायक आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, जयपुर, प्रधानाचार्य, केन्द्रीय विद्यालय डूंगरपुर के द्वारा डूंगरपुर में केन्द्रीय विद्यालय हेतु भूमि आवंटन करने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर एवं तहसीलदार डूंगरपुर से केन्द्रीय विद्यालय संगठन को भूमि का चयन समिति द्वारा भूमि का चयन कर भूमि आवंटन के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। उक्त प्रस्तावित भूमि को उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर, तहसीलदार डूंगरपुर की अभिशंषा एवं प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय डूंगरपुर की सहमति के आधार पर केन्द्रीय विद्यालय, डूंगरपुर के भवन, खेल मैदान एवं आवासीय भवनों के निर्माण हेतु निम्न राजकीय भूमि राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1963/1995 के तहत 99 वर्ष की कालावधि के लिए पट्टाशर्तों के आधार पर निःशुल्क एतद्द्वारा आवंटन की जाती है :

क्र0 सं0	आवंटी का नाम/ प्रयोजन	मौजा	आराजी नम्बर	किस्म	आवंटित रकबा है0
1.	प्रधानाचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, डूंगरपुर	चक डूंगरपुर	437	मगरी	0.48 है0
			438	बीड़	1.40 है0
			439	बीड़	0.86 है0
			440	रा0प्रथम	1.20 है0
			573	बीड़	0.06 है0
				कुल	4.00 है0 अर्थात 10.00 एकड़

आवंटन की शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

1. भूमि का उपयोग सर्वथा उस प्रयोजन के लिए किया जावेगा जिसके लिये आवंटित किया गया है। कब्जा सौंपने के 6 माह के भीतर भीतर उस भवन का संनिर्माण प्रारंभ कर दिया जावेगा। आवंटी कब्जा सौंपे जाने के दो वर्ष के भीतर-भीतर भवन का संनिर्माण पूर्ण करने के लिये और उसे उस प्रयोजन के लिये उपयोग में लाने के लिये उत्तरदायी होगा, जिसके लिये उस भूमि को आवंटित किया गया है

2. भूमि राज्य सरकार में निहित होगी।

3. आवंटित भूमि और उस पर सनिर्मित भवन या प्रारम्भ किये गये प्रस्थान का उपयोग जनता के लाभ के लिये किया जावेगा। आवंटित भूमि एवं उस पर सनिर्मित भवन का किसी भी रूप में विक्रय उप पट्टे पर किया जाना या अन्तरण आवंटन प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं किया जावेगा।

4. पट्टा विलेख प्रारूप "1" में होगा।

तहसीलदार डूंगरपुर आवंटित भूमि का कब्जा संबंधित को नियमानुसार सुपुर्द कर इसका राजस्व अभिलेख में अमल-दरामद करें एवं पालना रिपोर्ट 15 दिन में प्रस्तुत करें

जिला कलक्टर,
डूंगरपुर (राज.)

क्रमांक :- सम/08/2464-68 दिनांक 12.6.2008
19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

1. सहायक आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, जयपुर,
2. उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर
3. तहसीलदार डूंगरपुर
4. प्रधानाचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, डूंगरपुर
5. पटवारी हल्का डूंगरपुर

जिला कलक्टर
डूंगरपुर (राज.)

भारत सरकार
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग,
कार्यालय सहायक अभियंता, उदयपुर केन्द्रीय उप मण्डल–II,
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, मनवा खेडा रोड, हिरण मगरी सेक्टर–4,
उदयपुर–313002 **टेलीफैक्स: 0294–2460809**

पत्रांक: 54(के.वि.डूँगरपुर)/स.अ./उकेउमं–I/2024/ 197 दिनांक: 06-05-24

सेवामें,

श्रीमान प्राचार्य महोदय,
केन्द्रीय विद्यालय,
मुरला गणेश मन्दिर के पास, पातेला
जिला– डूँगरपुर (राज.)–314001

S.N 12
Dt. 06.05.24
Kendriya Vidyalaya

विषय:- विद्यालय भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करने बाबत

संदर्भ– आपके कार्यालय पत्र सं. के.वि.डूंगरपुर/2024–25/63 दिनांक 30.04.2024

महोदय,

The Kendriya Vidyalaya Dungarpur Building Constructed by CPWD Department is safe and structurally sound at present.

The building is safe for occupancy for next one year.

सहायक कार्यपालक अभियन्ता
उदयपुर केन्द्रीय उप मण्डल–I
के.लो.नि.वि., उदयपुर (राज0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-
श्रीमान कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, जोधपुर ।

सहायक कार्यपालक अभियन्ता

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय अग्निशमन विभाग, नगरपरिषद् डूंगरपुर (राज.)

(का) :– 02964–232459, फेक्स :– 02964– 233690,

Email :-npd.dpr@gmail.com

क्रमांक :– अग्नि./न.प.डूं./2020–21/723 दिनांकः– 17.08.2020

फायर अनापत्ति प्रमाण –पत्र

आज दिनांक 17.08.2020 को प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय डूंगरपुर के प्रार्थना–पत्र दिनांक 29.07.2020 के अनुसार दिनांक 14.08.2020 को निरीक्षण किया गया है, जिसमें उक्त दिनांक को अग्निशमन व्यवस्था (Fire & Safty) सही पाये जाने के कारण निम्न शर्तों पर पाबन्द करते हुए Fire Safty के लिए फायर प्रमाण–पत्र (N.O.C.) जारी किया जाता है।

निर्देश :–

1. विद्यालय के समस्त स्टाफ को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा, जिसका रिकॉर्ड संधारण किया जायेगा।
2. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रिफलिंग कराना होगा।
3. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा–निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
4. यह प्रमाण–पत्र जारी करने की दिनांक से एक वर्ष तक वैद्य होगा।
5. किसी भी समय निरीक्षण के दौरान अग्निशगन सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं पाये जाने पर उसे निररत करने का अधिकार उक्त अद्योहरताक्षर कर्ता के पास सुरक्षित होगा।

अग्निशमन प्रभारी
नगरपरिषद् डूंगरपुर (राज.)
अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद, डूंगरपुर

Scanned with OKEN Scanner